न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 559–एक/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–2–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 21/07–08/अपील.

1– मोहम्मद हनीफ कुरैशी पिता मोहम्मद बाबू
स्थल सहायक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग उक्त संभाग ओल्ड पलासिया
राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर
2– अब्दुल रेहान
3– अब्दुल फरहान
4– अब्दुल इमरान
पुत्रगण मोहम्मद बाबू
5– जौहरा बी बेवा मोहम्मद बाबू
निवासीगण आनन्द विद्या भारती स्कूल के पास
रामलीला मार्ग, धोबी गली, ब्यावरा राजगढ़ .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– हुस्नाबानो पुत्री मोहम्मद बाबू उर्फ अब्दुल वहाब
निवासी पटेल बाडी आगर मालवा जिला शाजापुर
2– गौतम पिता धरमचन्द्र
3– विकास कुमार पिता धरमचन्द्र
4– कमल कुमार पिता धरमचन्द्र
5– श्रीमती मोहनबाई पत्नी धरमचन्द्र
6– श्रीमती ममतादेवी पत्नी कमल कुमार
7– श्रीमती रीता पत्नी विजय कुमार
8– श्रीमती पूजा पत्नी नवीन
निवासीगण विवेकानंद कॉलौनी, आगर
9– यास्मिन बी पत्नी रईस खां
10– रूकैया बी पत्नी हमीद खां
11– हमीद खां पिता अमीर खां
12– नगमा बी पत्नी गफ्फार खां
13– गफ्फार खां पिता नन्हे खां
निवासीगण लक्ष्मणपुरा, आगर .....अनावेदकगण

श्री अखलाक कुरैशी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 13

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कस्बा आगर स्थित भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 14.161 हेक्टेयर के भूमिस्वामी मोहम्मद बाबू खां थे । उनकी मृत्यु होने पर नायब तहसीलदार आगर मालवा द्वारा नामान्तरण कमांक 13 पर दिनांक 15–5–97 को आदेश पारित कर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, आगर–बड़ोद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–6–07 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–2–2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि मृतक भूमिस्वामी के सभी वैध उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लेकर उनकी सुनवाई कर गुण–दोष पर आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) मृतक भूमिस्वामी बाबू खां की मृत्यु होने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत हो गया, और उनके द्वारा पृथक–पृथक सात विकय पत्रों के माध्यम से भूमि का विकय भी कर दिया गया है ।

(2) अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही ग्राम में डोंडी पिटवाई गई है ।

(3) अनावेदिका कमांक 1 ने स्वयं अपने कथन में यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का नाम दर्ज हो गया है, इसके बावजूद अपर आयुक्त

द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(4) आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी हैं, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं देकर नामान्तरण नियमों का पालन किये बिना दिनांक 12–6–15 को आदेश पारित किया गया है, जो कि नामान्तरण नियमों के विपरीत होकर अवैध आदेश है ।

(5) वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज नहीं है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय के आदेश का अमल संभव नहीं है, जिस पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि पर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1–6–2006 के आधार पर नामान्तरण हो चुका है और उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिये जाने से वह अन्तिम हो गया है । ऐसी स्थिति में उक्त आदेश को निरस्त किये बिना तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अमल संभव नहीं है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 लगायत 13 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 13 द्वारा मृतक भूमिस्वामी बाबू के वैध उत्तराधिकारियों से उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30–3–2006 के माध्यम से पृथक–पृथक क्रय की गई है । ऐसी स्थिति में उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर किसी अन्य का नामान्तरण नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पूर्व ही अनावेदक कमांक 2 लगायत 13 द्वारा भूमि क्रय कर ली गई थी । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 13 हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी न तो उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष और न ही अपर आयुक्त के समक्ष पक्षकार बनाया गया है, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

5/ अनावेदिका कमांक 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि

तहसील न्यायालय में अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं मिला था । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समय बाह्य आदेश को निरस्त कर गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर